

उत्तर प्रदेश



आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि०-28.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. कौशल कुमार उर्फ कैलाशचन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र 2. अवलोक उर्फ निश्चल पुत्र सुभाषचन्द्र 3. राजवती पत्नी सुभाषचन्द्र निवासी नरसिंहपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 1192/2005 वाद संख्या 315/2006 धारा 452,325,506 भा०द०वि० कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगणों के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-08 कोर्ट द्वारा दिनांक 28.11.2025 को अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 05 वर्ष का कारावास की सजा व 30-30 हजार रुपये व अभियुक्ता राजवती को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री अभिषेक कुमार



पैरोकार का० विवेक कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि०-28.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रामबाबू पुत्र मौजीलाल 2. रामदीन पुत्र मौजीलाल 3. बादाम सिंह पुत्र मातादीन 4. रामरतन पुत्र मानसिंह 5. रुकमंगल पुत्र रामकिशन 6. अमरसिंह पुत्र अनन्तराम 7. रामवीर पुत्र वेदराम 8. देशराज पुत्र गंगाराम 9. बरजोर पुत्र पूरन सिंह 10. हरिश्चन्द्र पुत्र गंगाराम समस्त नि०गण लुखरियाई कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 506/1992 वाद संख्या 11/1997 धारा 395, 397, 332, 353, 504, 342, 427 भा०द०वि० व 7 सी०एल०ए० एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगणों के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-तृतीय कोर्ट द्वारा दिनांक 28.11.2025 को अभियुक्त गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास की सजा व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



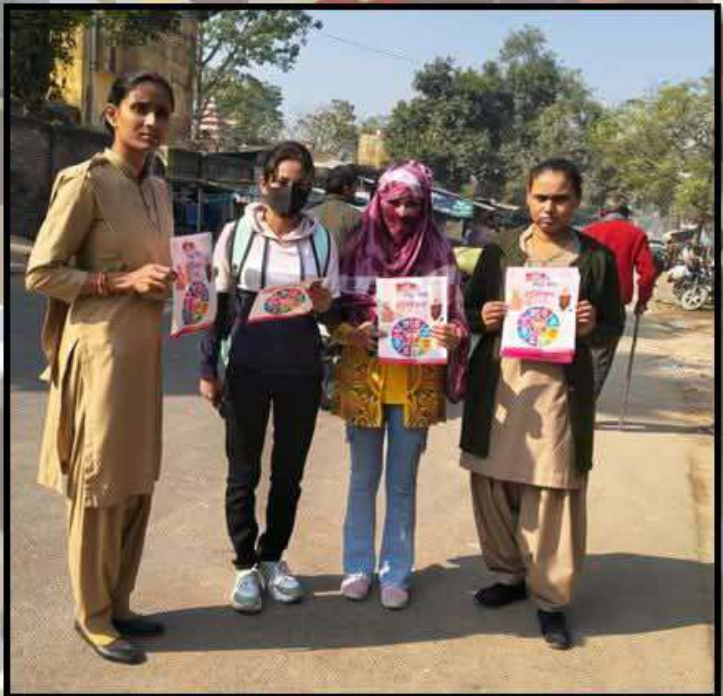
को० मो० हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार का० गुलाम गौस



मिशन शक्ति 5.0



थाना जहानगंज



Fatehgarhpolice



मिशन शक्ति 5.0



थाना कम्पिल





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कमालगंज



[#Fatehgarhpolice](#)



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना जहानगंज



#Fatehgarhpolicе



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना अमृतपुर

[#MissionShakti](#)





मिशन शक्ति 5.0



थाना मेरापुर



Fatehgarhpolic

मिशन शक्ति

मां की सुरक्षा
मां की सम्मान
मां की स्वावलम्बन





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



गरीब सुरक्षा
गरीब सम्मान
गरीब स्वावलम्बन

गरीबों के हितों की रक्षा



कोतवाली-
मोहम्मदाबाद



[#MissionShakti](#)





मिशन शक्ति 5.0



थाना नवाबगंज



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कादरीगेट





मिशन शक्ति 5.0



थाना राजेपुर





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फतेहगढ़





मिशन शक्ति 5.0

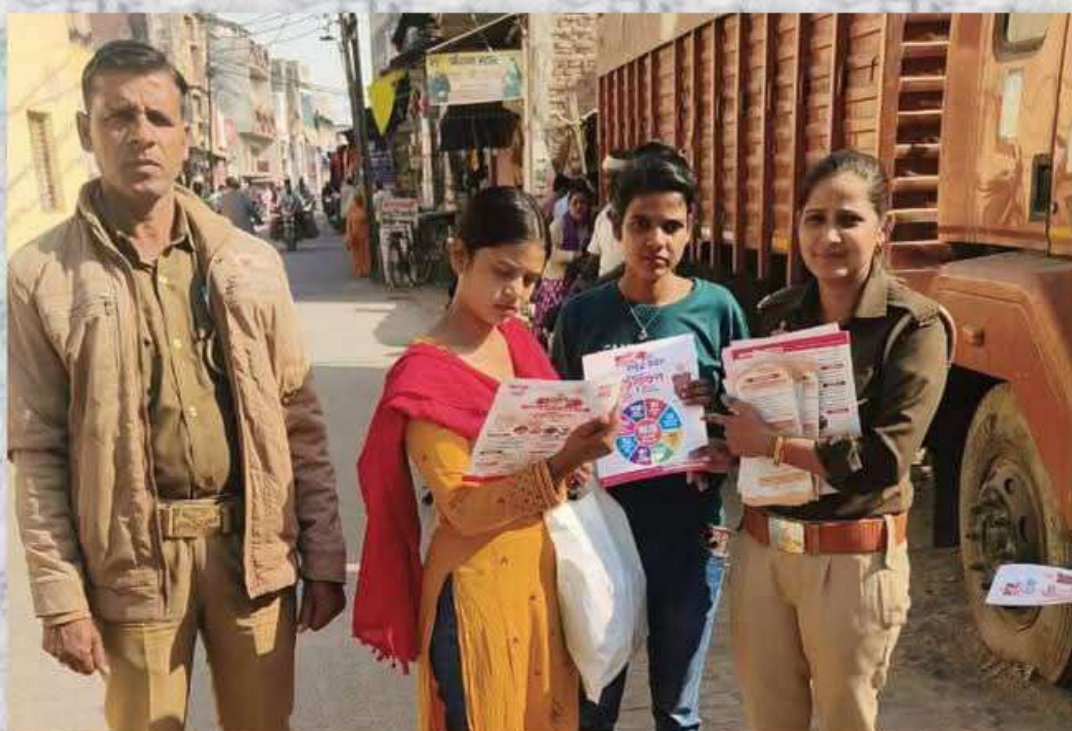


कोतवाली कायमगंज





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना नवाबगंज



[#Fatehgarhpolice](https://twitter.com/Fatehgarhpolice)